UPGK010023212026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 989/2026,

मंजू सिंह पत्नी सुनील कुमार सिंह,
निवासिनी- वार्ड नं0- 11, बांसगॉव,
थाना- बांसगॉव, जनपद- गोरखपुर। आवेदिका/अभियुक्ता,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 105/2026,
धारा- 3 (5),109 (1),115 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- बांसगॉव, जनपद- गोरखपुर।

20.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदिका/अभियुक्ता मंजू सिंह की ओर से अपराध संख्या- 105/2026, धारा- 3 (5), 109 (1),115 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- बांसगॉव, जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकत्री दीक्षा सिंह को उसकी माता पूनम सिंह ने बताया कि दिनांक 27.02.2026 को समय 08:45 बजे सुबह के आस-पास मकान के सामने से नगर पंचायत के द्वारा निर्मित नाली में पाईप लगाने की बात को लेकर अग्निवेश सिंह व नितिश सिंह, मंजू सिंह व सुनील सिंह अपने हाथ में लाठी-डण्डा एवं राड लेकर नाजायज मजमा कायम करके एक राय व गोल बनाकर दरवाजे पर आये और मॉ, बहन व भाई को गाली-गुप्ता देने लगे। प्रथम सूचनाकत्री की मॉ व भाई सौरभ सिंह तथा पिता संजय सिंह ने गाली देने से मना किया, तो अग्निवेश सिंह अपने साथ आये सभी लोगों से कहा कि इन लोगों को मार डालों आज कहानी खत्म कर देते हैं। अग्निवेश सिंह के ललकारने पर सभी अभियुक्तो ने एक साथ हमला करते हुए प्रथम सूचनाकत्री की मॉ, भाई व पिता को जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डा व राड से वार कर दिया, जिससे प्रथम सूचनाकत्री की मॉ व पिता को काफी गम्भीर उपहतियॉ आयी है। प्रथम सूचनाकत्री के भाई के सिर में काफी गम्भीर उपहतियॉ आई तथा उसका सिर फट गया, जिससे रक्त श्राव होने लगा व जमीन पर गिर गया। प्रथम सूचनाकत्री के भाई को मरणासन्न समझकर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये।

प्रथम सूचनाकत्री के भाई के हालत को गम्भीर देखते हुए स्थानीय डाक्टरों ने मेडिकल कालेज, गोरखपुर में रेफर कर दिया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका/अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध है। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता 66 वर्ष की वृद्ध व बीमार महिला है। वास्तविकता यह है कि आवेदिका/अभियुक्ता पक्ष की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.02.2026 को अपराध संख्या- 100/2026, धारा- 191 (2),191 (3),190,103 (1),109 (1),115 (2),351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- बांसगॉव, जनपद- गोरखपुर में अंकित करायी गयी है। उक्त घटना में अपराध संख्या- 105/2026, धारा- 3 (5),109 (1),115 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- बांसगॉव, जनपद- गोरखपुर के प्रथम सूचनाकत्री पक्ष के लोगो द्वारा हमलावर होकर आवेदिका/अभियुक्ता के पुत्र अग्निवेश सिंह की निर्मम हत्या कर दी गयी थी। अपराध संख्या- 105/2026 के प्रथम सूचनाकत्री पक्ष द्वारा हत्या के आरोप से बचने के लिए यह फर्जी गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है। यदि आवेदिका/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वह अपने मृतक पुत्र का क्रिया कर्म नहीं कर पायेगी। आवेदिका/अभियुक्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की प्रबल आशंका है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका/अभियुक्ता व सह-अभियुक्तो द्वारा आहत पूनम सिंह व सौरभ सिंह को जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डे व राड से प्रहार कर गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचनाकत्री दीक्षा सिंह की माता पूनम सिंह, भाई सौरभ सिंह व पिता संजय सिंह को लाठी-डण्डा व राड से प्रहार कर गम्भीर उपहति कारित किये जाने तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है, जिससे आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में इन्कार किया है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत पूनम के शरीर के पर 01 उपहति आना उल्लिखित है, जो बाएं कन्धे के जोड़ से 5 सेन्टीमीटर अन्दर की ओर, बाएं कन्धे के ऊपर 4 सेन्टीमीटर X 1.5 सेन्टीमीटर के आकार में मौजूद था, जिसका रंग नीला व काला था। चिकित्सक द्वारा

उक्त उपहति को साधारण प्रकृति का होना बताया गया है। आहत सौरभ सिंह के शरीर के पर 03 उपहति आना उल्लिखित है, जिसमे से पहली उपहति दाहिनी ओर सिर पर दाहिने कान से 8 सेन्टीमीटर ऊपर टांके लगे घाव, जिसका शैतिज आकार 03 सेन्टीमीटर था, दूसरी उपहति दाहिनी भौंह से ठीक 11 सेन्टीमीटर ऊपर सिर के दाहिनी ओर आगे-पीछे की दिशा में सिला हुआ घाव, जिसका आकार 05 सेन्टीमीटर था, मौजूद था तथा तीसरी उपहति बाई जांघ के मध्य भाग में दर्द की शिकायत के रूप में पायी गयी। उपरोक्त आयी उपहतियो के बावत चिकित्सक द्वारा एक्स-रे की सलाह दी गयी, किन्तु वर्तमान में केस डायरी में कोई एक्स-रे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदिका/अभियुक्ता को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की गई है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदिका/अभियुक्ता को सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदिका/अभियुक्ता मंजू सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त में सम्बन्धित थानाध्यक्ष/ न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 50,000/-रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाय-

1- आवेदिका/अभियुक्ता निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगी, तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेंगी।

2- आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

3- यदि आवेदिका/अभियुक्ता के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगी।

4- आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होती रहेगी एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगी।

5- आवेदिका/अभियुक्ता निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगी।

6- आवेदिका/अभियुक्ता उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगी।

7- आवेदिका/अभियुक्ता मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के

वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगी।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
20 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.20 15:33:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court